रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01032023-244019
CG-DL-E-01032023-244019

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2023/फाल्गुन 10, 1944
No. 148] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2023/PHALGUNA 10, 1944

इंडियन बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी,2023

फा. सं. आईबी/जी-9/1/2022-23(ई).—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 19 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इंडियन बैंक का निदेशक मंडल भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियमन, 1979 में आगामी संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.—

   (1) इन विनियमों का नाम इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2023है।

   (2) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियमन, 1979, (इसके बाद उक्त विनियम कहा जाएगा) में, विनियम 4 में,उप-विनियम (8) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात:-

"(9) शीर्ष कार्यपालक ग्रेड में मुख्य महाप्रबंधक के पद हेतु वेतनमान एवं विशेष भत्ता निम्नानुसार होंगे :

(क) शीर्ष कार्य पालक ग्रेड

स्केल VIII = रु.1,66,350 – 4,400/4 – 1,83,950

(ख) विशेष भत्ता

वेतनमानVIII = मूल वेतन का 20% एवं उस पर लागू महंगाई भत्ता :

परन्तु यह कि इस उप-विनियम में किसी भी बात का यह आशय नहीं होगा कि बैंक में हर समय इसग्रेड में अधिकारी सेवारत होना अपेक्षित है।

नोट : उप-विनियम (9) में संदर्भित विशेष भत्ता और इस पर लागू महंगाई भत्ता को सेवानिवृत्ति लाभों की गणना हेतु, जैसे कि नई पेंशन स्कीम सहित पेंशन, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी में शामिल नहीं किया जाएगा।"।

3. उक्त विनियम में, विनियम 5 में, उप-विनियम (3) में, खंड (एफ) के बाद, निम्नलिखित खंड को जोड़ा जाएगा, अर्थात : -

"(ज) अन्य तथ्य समान होने पर, शीर्ष कार्यपालक ग्रेड वेतनमान– VIII में मुख्य महाप्रबंधक के पद हेतु आवास किराया भत्ता सहित नियत वैयक्तिक भत्ते, यदि कोई है, निम्नवत तालिका में दी गई दरों पर होगा तथा पूरी सेवा अवधिके लिए अवरुद्ध रहेगा :

तालिका

वेतनवृद्धि घटक (रु.)	वेतनवृद्धि घटकों पर महंगाई भत्ता (रु.)	जहां बैंक द्वारा आवास प्रदान किया गया है वहाँ कुल नियत वैयक्तिक भत्ते (रु.)
(1)	(2)	(3)
4,400	118	4518".

4. उक्त विनियम में, विनियम 7 के लिए ; निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित कियाजाएगा, अर्थात :—

"7. वर्गीकरण.—(1) विनियम 6 के प्रावधानों के अधीन, बैंक में अधिकारियों के पदों का वर्गीकरण निमन्वत तालिका के अनुसार होगा:

तालिका

पद	**पदस्थापित ग्रेड या स्केल**
मुख्य महाप्रबंधक	शीर्ष कार्यपालक ग्रेड स्केल-VIII
महाप्रबंधक	शीर्ष कार्यपालक ग्रेड स्केल-VII
उप महाप्रबंधक	शीर्ष कार्यपालक ग्रेड स्केल-VI
सहायक महाप्रबंधक	वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल-V
मुख्य प्रबंधक	वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल-IV
वरिष्ठ प्रबंधक	मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल-III
प्रबंधक	मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल-II
सहायक प्रबंधक	कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल-I

(2) यदि उपरोक्त वर्गीकरण से कोई कठिनाई या विसंगति उत्पन्न होती है, तो उसे एक समिति को भेजा जाएगा जोकि प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी और ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों से मिलकर बनी होगी जिन्हें इस उद्देश्य के लिए, इसके निर्णय के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।"।

5. उक्त विनियम में, विनियम 41 में, उप-विनियम (4) में, खंड (ख) के लिए,निम्नलिखित खंड को जोड़ा जाएगा, अर्थात :-

"(ख) लॉजिंग व्यय

निम्नांकित तालिका के कॉलम(1) में निर्दिष्ट ग्रेड या वेतनमान के एक अधिकारी को भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में कॉलम(2) में निर्दिष्ट संबंधित स्टार श्रेणी के एकल कमरे के आवास शुल्क तक सीमित वास्तविक होटल खर्च की प्रतिपूर्ति की जा सकती है, जैसा कि निम्नांकित है :

तालिका

अधिकारियों के ग्रेड/स्केल	**आवास की पात्रता**
(1)	(2)
स्केल – VI, VII एवं VIII	4 स्टार होटल
स्केल – IV एवं V	3 स्टार होटल
स्केल – II एवं III	2 स्टार होटल (नॉन-एसी)
स्केल – I	1 स्टार होटल (नॉन-एसी)

परन्तु यह कि बोर्ड केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, ऊपर निर्दिष्ट सीमा से अधिक प्रतिपूर्ति की जाने वाली अतिरिक्त सीमा को निर्दिष्ट कर सकता है।"।

श्री धनराज. टी, महाप्रबंधक (सीडीओ)

[विज्ञापन-III/4/असा./675/2022-23]

नोट: मुख्य विनियमों को भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था और तदनुसार निम्नांकित अधिसूचनाओं के माध्यम से संशोधित किया गया, अर्थात :-

क्रम संख्या	**प्रकाशन संख्या**	**दिनांकित**	**प्रकाशन की तिथि**
1.	एसआरसी/17/97	12.05.1997	31.05.1997
2.	एसआरसी/223/38	07.03.2000	16.03.2000
3.	एसआरसी/223सी	07.08.2001	25.08.2001
4.	1	04.01.2003	04.01.2003
5.	-	14.03.2006	01.05.2006
6.	एस.ओ.02	07.10.2006	16.10.2006
7.	आईआरसी/जी-9/2017-18	30.11.2017	11.01.2018
8.	आईबी/जी-9/2020-21(ई.)	02.03.2022	16.03.2022

INDIAN BANK

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2023

F. No. IB/G-9/1/2022-23(E).—In exercise of the powers conferred by section 19read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Indian Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Bank (Officers')Service Regulations, 1979, namely:-

1. Short title and commencement.—

(1) These regulations may be called the Indian Bank (Officers')Service (Amendment) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Bank (Officers') Service Regulations, 1979, (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 4, after sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

"(9) The scales of pay and Special Allowance for the post of Chief General Manager in Top Executive Grade shall be as under:

(A) Top Executive Grade

Scale VIII = Rs.1,66,350 – 4,400/4-1,83,950

(B) Special Allowance

Scale VIII = 20% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon:

Provided that nothing in this sub-regulation shall be construed as requiring the Bank to have at all times officers serving in this grade.

Note: The Special Allowance referred to in sub-regulation (9) with applicable Dearness Allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, such as pension including New Pension Scheme, Provident Fund and Gratuity.".

3. In the said regulations, inregulation 5, in sub-regulation (3), after clause (f), the following clause shall be inserted, namely: -

"(g) Other things being equal, the fixed personal pay together with House Rent Allowance, if any, for the post of Chief General Manager in Top Executive Grade Scale-VIII shall be at the rates given in the table below and shall remain frozen for the entire period of service:

TABLE

Increment Component (Rs.)	Dearness Allowance on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(1)	(2)	(3)
4,400	118	4518".

4. In the said regulations, for regulation 7, the following regulation shall be substituted, namely:—

"7. Categorisation.— (1) Subject to the provisions of regulation 6, the posts of officers in the Bank shall be categorised as specified in the table below:

TABLE

POSTS	**GRADE or SCALE IN WHICH PLACED**
Chief General Manager	Top Executive Grade Scale-VIII
General Manager	Top Executive Grade Scale-VII
Deputy General Manager	Top Executive Grade Scale-VI
Assistant General Manager	Senior Management Grade Scale-V
Chief Manager	Senior Management Grade Scale-IV
Senior Manager	Middle Management Grade Scale-III
Manager	Middle Management Grade Scale-II
Assistant Manager	Junior Management Grade Scale-I

(2) If any difficulty or anomaly arises out of the above categorisation, the same shall be referred to a Committee consisting of the Managing Director and Chief Executive Officer and such other person or persons as may be appointed by the Central Government for this purpose, for its decision." .

5. In the said regulations, in regulation 41, in sub-regulation (4), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:–

"(b) Lodging Expenses

An officer in the Grade or Scalespecified in column (1) of the table below may be reimbursed the actual hotel expenses restricting to single room accommodation charges in India Tourism Development Corporation hotels of the corresponding star category specified in column (2) thereof, as under:

TABLE

GRADES / SCALES OF OFFICERS	**ELIGIBILITY TO STAY**
(1)	(2)
Scale – VI, VII and VIII	4 Star Hotel
Scale – IV and V	3 Star Hotel
Scale – II and III	2 Star Hotel (Non-AC)
Scale – I	1 Star Hotel (Non-AC)

Provided that the Board may specify the additional limit to be reimbursed in excess of the limits specified above, in accordance with the guidelines of the Central Government.".

Shri. DHANARAJ. T, General Manager (CDO)

[ADVT.-III/4/Exty./675/2022-23]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4 and subsequently amended vide the following notifications, namely:-

S. No.	**Publication No.**	**Dated**	**Date of Publication**
1.	SRC/17/97	12.05.1997	31.05.1997
2.	SRC/223/38	07.03.2000	16.03.2000
3.	SRC/223C	07.08.2001	25.08.2001
4.	1	04.01.2003	04.01.2003
5.	-	14.03.2006	01.05.2006
6.	S.O.02	07.10.2006	16.10.2006
7.	IRC/G-9/2017-18	30.11.2017	11.01.2018
8.	IB/G-9/2020-21(E.)	02.03.2022	16.03.2022

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA